न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- 124 /2015/भीलवाड़ा (2015/00014)

1. नानी बलाई पुत्री गोकल बलाई जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा कायम मुकाम भैरूलाल व अन्य

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती हीरू बेवा रामा जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. श्री भैरू पिता रामा जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. श्री बालु पिता रामा जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती सीता बेवा कैलाश जाति बलाई निवासी रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम पंचायत रीठ पं0स0कोटडी जिला भीलवाड़ा(राज0)जरिये सरपंच
6. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाड़ा दिनांक 04.06.2015 प्रकरण संख्या 06/2011.

उपस्थितः-

1. श्री गौतम टांक, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गोविन्द शर्मा,वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः-14.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाडा(संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 04. 06.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती नानी बलाई पुत्री श्री गोकल बलाई की इकलौती संतान है अपीलांट के पिता के नाम पर ग्राम वाके रीठ तह0कोटडी जिला भीलवाड़ा की शरहद में आराजी न0 707 रकबा 0.11 आराजी न0 711 रकबा 0.04 आराजी न0713

रकबा 2.03 आराजी न0714 रकबा 0.17 आराजी न0715 रकबा 2.01 आराजी न0 716 रकबा 0.09 आराजी न0 717 रकबा 0.04 आराजी न0718 रकबा 0.13 कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा स्थित है जो रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट 1 से 4 लगायात के दादा नारायण ने सांठगांठ कर अपीलांट के पिता की आराजी को मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड में गोदपुत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 02.03.1959 से अपने नाम पर दर्ज करवा ली जबकि किसी भी रूप में वो गोदपुत्र नही था ना कोई विधिक अधिकार उनको प्राप्त था ना ही वे अपीलांट के पिता के कोई विधि वारिसान थे । अपीलांट के पिता ने ना तो अपने जीवनकाल में किसी को गोद लिया था ना किसी को दत्तक पुत्र बनाया था ना उक्त आराजी किसी को अंतरण की थी । अपीलांट स्व0 गोकल की विधिक वारिसान है । अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 04.06.2015 द्वारा अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु के आधार एंव उसी विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील को मेरिट पर खारिज कर अपने निर्णय से दो प्रकार के निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्था न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई ।

3- अपीलांट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को ताईद करते हुए कथन किया गया गोकल के कोई पुत्र संतान नहीं थी एक मात्र पुत्री अपीलार्थी नानी है,जो एक अशिक्षित वयोवद्ध महिला है पिता के निधन के बाद रेस्पोडेन्ट के दादा ने रेस्पोडेन्ट 5 व 6 से मिलीभगत कर राजस्व अभिलेख में गोदपुत्र बता दिया जबकि किसी भी रूप में गोदपुत्र नही था अपीलांट स्व0 गोकल की विधिक वारिसान है। मियाद के बिन्दु के आधार पर अपीलार्थी का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता एंव विवादित नामांमान्तरण को खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास नहीं है । नामान्तरकरण की कार्यवाही में नायब तहसीलदार /पंचायत के समक्ष पक्षकार नहीं हो तब अपील देरी से प्रस्तुत करने को स्वीकार करके देरी को माफ करना चाहिए । सवौच्च न्यायालय के मतानुसार मियाद पर जस्टिस के लिए लिबरल दृष्टिकोण न्यायालय को अपनना चाहिए । अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण का सूक्ष्म विवेचना का आदेश दिया जावे । अपीलार्थी द्वारा 24.08.15 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना कोई देरी किये द्धितीय अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की गुजारिश कर अपीलांट के पिता की आराजी अपीलांट के नाम दर्ज फरमाने का आदेश चाहा है ।

4- अपीलांट अभिभाषक ने बहस को समाप्त करते हुए मुख्य तर्क यह दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु के

आधार पर बिना गुणावगुण के आधार पर अपील को खारिज कर दिया जो उचित नहीं है । इस तर्क की पुष्टि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने त्रृटिपूर्वक निर्णय पारित किया है उसे अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।

5- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा गोकल बलाई की विवादित भूमि के संबंध में 45 वर्ष बाद अपील स्वीकार करना उचित नहीं होना बताते हुए आगे बहस में गोकल की पुत्री होना या नहीं होना साक्ष्य का विषय बताते हुए पुत्री को इतनी लाम्बी अवधि में इन्तकाल का ज्ञान होना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता फिर नामान्तरकरण की कार्यवाही से रेस्पोडेन्ट के इतने वर्षो की खातेदारी को एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता ।

6- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा आगे बहस में उल्लेख किया कि विवादास्पद विरासतन अधिकार के संबंध में अपीलार्थी को रेगुलर वाद दायर करना चाहिए था लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एक प्रक्रियात्मक कार्यवाही के प्रावधान वाला एक्ट है जबकि टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी का खातेदारी अधिकार घोषित अथवा समाप्त किया जा सकता है ।

7- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट श्रीमती नानी बलाई पुत्री गोकल बलाई का स्वर्गवास हो गया है जिसके विधिक वारिसान निम्न है धापू पुत्री नानी (फौत) 1/1 रामदयाल पुत्र धापू 1/2 शंकर पुत्र धापू 2.भैरूलाल पुत्र नानी 3. गोपाललाल पुत्र नानी 4. बालीबाई पुत्री नानी 5. सुरती बाई पुत्री नानी जाति बलाई निवासी ग्राम रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाडा है उपरोक्त वारिसानों का राईट टू स्यू सरवाईव करता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नानी बलाई (मृतक)के नाम को हटाया जाकर उक्त के नाम रिकार्ड पर किया जावे । मियाद अधिनियम की धारा-5 पर अपीलान्ट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि दिनांक 04.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया जाहिर किया जबकि 04.06.2015 से 15.07.2015 तक की अवधि में राजस्व अभियान कैम्प के तहत अधीनस्थ न्यायालय राजस्व कैम्प में उपस्थित थे जिससे उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो पायी थी । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट ने 24.08.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना कोई देरी किये अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई और जानकारी से अन्दर मयाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण एकपक्षीय आदेश है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी और अपील पेश करने मे लगा समय सदभाविक देरी है जिसे क्षमा किये जाने का निवेदन किया ।

8- अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा अध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों 1-2017(2)RRT 1401ए 2-2016 RBJ 769ए 3-2019 RBJ 69, 4-2015 RBJ 482(SC) 5-1997 RBJ 295 RB की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9- सर्वप्रथम हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पर विचार कर निर्णय करना

उचित समझते है पत्रावली में प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध रिकार्ड का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ जो मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है वह अपीलांट नानी बलाई पुत्री गोकल बलाई निवासी ग्राम रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाडा का नही होकर किसी श्रीमती दयावती माता का नाम लक्ष्मी देवी,पिता/पति का नाम पुन्नी लाल रारिया निवासी चांदमारी,शिव मंदिर के पास,आबुरोड सिरोही का है जिसमे मृत्यु दिनांक 22.10.2017 अंकित है । नानी बलाई की मृत्यु हुई अथवा नहीं का संशय बरकरार होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत कायम मुकाम का अंकन स्वीकार्य योग्य नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है अतः प्रकरण संधारणीय योग्य नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है ।

–:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 124/2015 (2015/00014) बउनवानी नानी बलाई कायम मुकाम भैरूलाल व अन्य बनाम हीरू व अन्य में पेश अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी को अस्वीकार किये जाने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 14.01.2020को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.23 13:11:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: